

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2018—माघ 14, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 16-191-2006-एक-7-1-स्था.- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भरती नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. अनुसूची -तीन में, कॉलम (2) में, सरल क्रमांक 2, 3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2 सहायक ग्रेड-3	18	25	<p>1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण।</p> <p>2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है:-</p> <p>(क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ;</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से;</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स;</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई./आई.टी) / एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) / बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) / एम.टेक./एम.ई. इत्यादि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p>

				<p>ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी ।</p> <p>टीप: बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी ।</p> <p>3. हिन्दी में 20 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)</p>
3 स्टेनो टायपिस्ट	18	25	<p>1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण ।</p> <p>2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है:-</p> <p>(क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ;</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से;</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स;</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र ।</p> <p>अथवा</p> <p>उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई./आई.टी) / एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एम.टेक./एम.ई. इत्यादि ।</p> <p>अथवा</p> <p>ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी ।</p>	

				<p>टीप: बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p> <p>3. हिन्दी में 20 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)</p> <p>4. मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद् से 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र</p>
4 स्टेनोग्राफर	18	25	<p>1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण।</p> <p>2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है:-</p> <p>(क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ;</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से;</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स;</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई/ आई.टी) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एम.टेक./एम.ई. इत्यादि।</p> <p>अथवा</p> <p>ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी।</p>	

				<p>टीप: बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p> <p>3. हिन्दी में 20 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)</p> <p>4. मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र</p>
--	--	--	--	--

2. अनुसूची-तीन के अंत में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“टीप-(1) सा0प्र0विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक, दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार म.प्र. के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु-सीमा में निम्नानुसार अधिकतम छूट होगी:-

(एक)	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+15=40
(दो)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+20=45
(तीन)	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25+20=45
(चार)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	25+20=45
(पांच)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/ निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25+20=45
(छह)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	25+20=45
<p>प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।</p>		

(2) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजियन होना अनिवार्य है।”।

No. F 16-191-2006-EK-7-1-Estt.--- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Secretariat Service Recruitment Rules, 1976, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- In Schedule-III, in column (2), for serial numbers 2, 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"2. Assistant Grade-III	18	25	<p>"(1) Passed Higher Secondary Certificate Exam (10+2) from any recognised Board or Institution;</p> <p>(2) (a) One year Diploma / Certificate in Computer Application from any of the following recognised Institutions-</p> <p>(a) from any university recognised by UGC;</p> <p>(b) from any open university recognised by UGC;</p> <p>(c) Diploma level examination from DOEACC;</p> <p>(d) Modern office management course from any Government Polytechnic College;</p> <p>(e) One year Certificate of Computer Operator and Programming Assistant (COPA) conferred by Council for National Vocational Test (N.C.V.T.), New Delhi or Council for State Vocational Examination (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.</p> <p>(b) following qualification from Institutions referred above shall also be valid - B.E. (C.S.E./ I.T.)/ M.C.A./ B.C.A./ M.S.C.(I.T./ C.S.) / B.SC.(./I.T./C.S.)/ M. Tech./ M.E.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Polytechnic Diploma in Computer Science/ Computer Application and information technology approved by AICTE</p> <p>Note: B.Sc. / B.Com /other degrees in which computer is included as only one of the subject shall not valid.</p>

				(3) Passed Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) examination held by Science and Technology department with a speed of 20 words in Hindi and 30 words in English per minute.
3. Steno typist	18	25		<p>(1) Passed Higher Secondary Certificate Exam (10+2) from any recognised Board or Institution;</p> <p>(2) (a) must have one year Diploma / Certificate in Computer Application from any of the following recognised Institutions-</p> <p>(a) from any university recognised by UGC;</p> <p>(b) from any open university recognised by UGC;</p> <p>(c) Diploma level examination from DOEACC;</p> <p>(d) Modern office management course from Government Polytechnic College;</p> <p>(e) One year Certificate of Computer Operator and Programming Assistant (COPA) conferred by Council for National Vocational Test (N.C.V.T.), New Delhi or Council for State Vocational Examination (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.</p> <p>(b) following qualification from Institutions referred above shall also be valid - B.E. (C.S.E./ I.T.)/ M.C.A./ B.C.A./ M.S.C.(I.T./ C.S.) / B.SC.(./I.T./C.S.)/ M. Tech./ M.E.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Polytechnic Diploma in Computer Science/ Computer Application and information technology approved by A.I.C.T.E</p> <p>Note: B.Sc. / B.Com / other degrees in which computer is included as only one of the subject shall not valid.</p> <p>(3) Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) held by Science and Technology department with a speed of 20 words in Hindi and 30 words in English per minute.</p> <p>(4) Certificate of Hindi shorthand with a speed of 80 words per minute from recognised Institution/Council.</p>

	4. Stenographer	18	25	<p>“(1)Passed Higher Secondary Certificate Exam (10+2) from any recognised Board or Institution;</p> <p>(2) (a) must have one year Diploma / Certificate in Computer Application from any of the following recognised Institutions-</p> <p>(a) from any university recognised by UGC;</p> <p>(b) from any open university recognised by UGC;</p>
				<p>(c) Diploma level examination from DOEACC;</p> <p>(d) Morden office management course from Government Polytechnic College;</p> <p>(e) One year Certificate of Computer Operator and Programming Assistant (COPA) conferred by Council for National Vocational Test (N.C.V.T.), New Delhi or Council for State Vocational Examination (S.C.V.T.), Madhya Pradesh.</p> <p>(b) following qualification from Institutions referred above shall also be valid -</p> <p>B.E. (C.S.E./ I.T.)/ M.C.A./ B.C.A./ M.S.C.(I.T./ C.S.) / B.SC.(./I.T./C.S.)/ M. Tech./ M.E.</p> <p>Or</p> <p>Polytechnic Diploma in Computer Science/ Computer Application and information technology approved by A.I.C.T.E</p> <p>Note: B.Sc. / B.Com /other degrees in which computer is included as only one of the subjects shall not valid.</p> <p>(3) Computer proficiency certification test (CPCT) certificate (Score card) held by Science and Technology department with a speed of 20 words in Hindi and 30 words in English per minute.</p> <p>(4) Certificate of Hindi shorthand with a speed of 100 words per minute from recognised Institution/Council.”.</p>

2. After Schedule III, following Note shall be added, namely :-

“ **Note:-** (1) As per the General Administration Department's Circular No. C 3-8/2016/3-I, dated 12th May, 2017, domicile of Madhya Pradesh shall be given the following exemption in the maximum age limit for the post to be filled by of direct recruitment, namely:-

(i)	Male candidate (unreserved category)	25 + 15 = 40
(ii)	Women candidate (unreserved category)	25 + 20 = 45
(iii)	Male/Women candidate (employees of Government/ Corporation/Board/Autonomous Institution/ Home Guard)	25 + 20 = 45
(iv)	Male/Women Candidate (Reserve category- Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes)	25 + 20 = 45
(v)	Male/Women Candidate (Reserved Category- employees of Government/Corporation/Board/Autonomous Bodies)	25 + 20 = 45
(vi)	For disabled person	25 + 20 = 45
The candidates of outside of the State of Madhya Pradesh shall not be eligible for exemption in the upper age limit in any situation.		

(2) Live registration in any of the employment exchange of State of Madhya Pradesh shall be mandatory for the candidates applying for the posts of class III and IV.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, उपसचिव.